



सीलमपुर, दिल्ली और मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश में ई-अपशिष्ट और बच्चों की भागीदारी

तथ्यान्वेषी रिपोर्ट
(2020-21)

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली

भारत के संविधान का अनुच्छेद 39 (एफ):

बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं और बालकों एवं अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए।

परिचय

बच्चों के लिए सबसे अच्छी जगह स्कूल और खेल के मैदान होते हैं लेकिन कई कारणों से कई बच्चे इन अनुभवों से वंचित रह जाते हैं। ऐसा ही एक कारण श्रम में बच्चों का शामिल होना है जो उन्हें अपने बचपन का आनंद लेने से वंचित करता है और उनकी वृद्धि और विकास में भी बाधा उत्पन्न करता है। भारत की जनगणना, 2011 के अनुसार, 5-14 वर्ष की आयु के बीच 10.1 मिलियन कामकाजी बच्चे या तो मुख्य कार्यकर्ता या सीमांत कार्यकर्ता के रूप में हैं। इसके अलावा, भारत में 42.7 मिलियन से अधिक बच्चे स्कूल से बाहर हैं, भले ही बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 और बाद के संशोधन सभी व्यवसायों में बच्चों को काम पर रखने से रोक लगाते हैं और खतरनाक स्थिति में किशोरों के काम पर भी रोक लगाते हैं। 2014 में जारी एसोचैम के अध्ययन के अनुसार, भारत में 10-14 वर्ष के आयु वर्ग के लगभग 4.5 लाख बच्चे विभिन्न यार्डों में पर्याप्त सुरक्षा और सुरक्षा उपायों के बिना विभिन्न ई-कचरा (इलेक्ट्रॉनिक कचरा) गतिविधियों में लगे हुए देखे गए हैं। इन गतिविधियों में बच्चों को शामिल करना न केवल एक संज्ञेय अपराध है बल्कि उनके अधिकारों का उल्लंघन भी है जिससे ऐसा नुकसान होता है जिसकी पूरी तरह से भरपाई नहीं की जा सकती है।

जिन क्षेत्रों में बच्चे श्रमिकों के रूप में कार्यरत हैं, उनमें इलेक्ट्रॉनिक कचरा (ई-कचरा) प्रबंधन एक प्रत्यक्ष क्षेत्र है जिसमें बड़े सुधार की आवश्यकता है। इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट प्रबंधन (ईडब्ल्यूएम), नियम 2015 'ई-कचरा' को विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के रूप में परिभाषित करता है, जो उपभोक्ता या थोक उपभोक्ता द्वारा कचरे के रूप में पूरी तरह से या आंशिक रूप से त्याग दिया जाता है और साथ ही विनिर्माण, नवीनीकरण और मरम्मत प्रक्रियाओं से खारिज कर दिया जाता है। ई-कचरे में फेंके गए घरेलू उपकरण, दूरसंचार उपकरण से लेकर खिलौने, चिकित्सा उपकरण, बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, बेकार सामग्री, सर्किट बोर्ड, बेकार फोन से लेकर कंप्यूटर तक हर चीज शामिल है। ई-कचरा पुनर्चक्रण उन व्यवसायों में से एक है जिसमें खतरनाक प्रक्रिया शामिल है और अगर ठीक से संभाला नहीं गया तो यह जीवन को खतरे में डाल सकता है। इन इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को मदरबोर्ड को तोड़कर, फेंके गए एयर-कंडीशनर से तांबे और लोहे की छड़ जैसी धातु प्राप्त करके, एसिड से इलेक्ट्रॉनिक्स को पिघलाकर, पृथक्करण आदि द्वारा पुनर्नवीनीकरण किया जाता है। यदि कोई एहतियाती उपाय नहीं किए जाते हैं तो ये सभी प्रक्रियाएँ खतरनाक प्रथाएँ बन जाती हैं। इन ई-कचरे में भारी धातुएं होती हैं और इसके निस्तारण के बाद भी ग्रे मार्केट द्वारा कई पुर्जों का पुनः उपयोग किया जा सकता है। दिल्ली-एनसीआर में, बच्चे ई-कचरा पुनर्चक्रण प्रक्रियाओं के अनौपचारिक क्षेत्र में शामिल पाए जाते हैं। वे बिना किसी मानक संचालन प्रणाली के ई-कचरे को इकट्ठा करने से लेकर उसे नष्ट करने तक के काम में शामिल हैं। यह बच्चों को जहरीली गैसों और

तत्वों के संपर्क में लाता है और इसे बच्चों के खिलाफ हिंसा के रूप में वर्गीकृत करता है और उनके स्वास्थ्य, वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है।

इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट (ईडब्ल्यूएम), नियम 2015, निर्माता, उपभोक्ता, खुदरा विक्रेता, रिसाइकलर, कंपनियों और अधिकृत एजेंसियों सहित सभी को कबाड़ से निपटने और ई-कचरे के निपटान के लिए जिम्मेदार बनाता है, फिर भी सख्ती करने की आवश्यकता है और इन कानूनों को धरातल पर लागू करना बहुत जरूरी है।

बाल श्रम अधिनियम और नियम-भारत और अंतर्राष्ट्रीय

भारत के बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम 1986 और 2016 में इसके संशोधन का उद्देश्य सभी व्यवसायों में बच्चों को काम पर लगाने से रोक लगाना और खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में किशोरों को काम देने और उससे जुड़े या प्रासंगिक मामलों पर रोक लगाना है। अन्य अधिनियम और कानून जैसे 'द फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1948', 'द माइन्स एक्ट ऑफ 1952', 'द जुवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन) ऑफ चिल्ड्रेन एक्ट ऑफ 2015', 'द इंडियन पेनल कोड 1860', 'द बॉन्डेड लेबर सिस्टम्स' (उन्मूलन) एक्ट, 1976 और 'बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, 2009' स्पष्ट रूप से बाल श्रम पर रोक लगाता है जो भारत में बाल श्रम के उन्मूलन के लिए भारत के रुख को दर्शाता है। दूसरे मोर्चे पर, भारत में देश के बाल श्रम स्थानिक जिलों में काम करने वाले बच्चों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना योजना, 1988 भी है। साथ ही, सीएलपीआर नियम, 2016 के नियम 2बी(2) में कहा गया है कि जहां एक स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने वाला बच्चा स्कूल के प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक को सूचित किए बिना लगातार तीस दिनों तक अनुपस्थित रहता है, तो प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक यह रिपोर्ट सूचना के लिए नियम 17सी में निर्दिष्ट संबंधित नोडल अधिकारी को देंगे।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, बच्चों को बाल श्रम से बचाने और खतरनाक प्रक्रियाओं में शामिल होने के लिए भारत द्वारा विभिन्न मौलिक अभिसमयों की पुष्टि की गई। आईएलओ के अभिसमय- न्यूनतम आयु अभिसमय, 1973 और बाल श्रम अभिसमय के सबसे खराब रूप, 1999 स्पष्ट रूप से हल्के काम के लिए बच्चों की उम्र को परिभाषित करते हैं और बाल श्रम के सबसे खराब रूपों को खत्म करते हैं, जिसकी भारत ने भी पुष्टि की है। भारत ने बाल अधिकारों की रक्षा के लिए यूएनसीआरसी की भी पुष्टि की। हालाँकि, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट, 2019 के अनुसार, दुनिया भर में उत्पन्न होने वाले ई-कचरे का केवल 20 प्रतिशत ही पुनः चक्रित किया जाता है। भारत में सालाना 30 लाख टन ई-कचरा पैदा हो रहा है, जो चीन और अमेरिका के बाद तीसरे नंबर पर है। जहां यूरोपीय और अमेरिकी देशों में स्थापित कंपनियां ई-कचरे का प्रबंधन खुद करती हैं, वहीं दूसरी ओर भारत में यह कचरा बीनने वालों द्वारा किया जा रहा है, जो बच्चों को इस हानिकारक रासायनिक प्रक्रिया में शामिल करते हैं।

बच्चों को हानिकारक गतिविधियों से बचाने के लिए, संबंधित प्राधिकरण को साक्ष्य आधारित अभ्यास करने की आवश्यकता है, खासकर जहां बच्चे, उनके नियोक्ता, माता-पिता या अभिभावक इन गतिविधियों में शामिल हैं। नियोक्ता और अन्य शामिल समूह अपने कार्यक्षेत्र में बाल श्रम के इस खतरनाक रूप को जारी रखने में अपनी भूमिका को उजागर नहीं करना

चाहते हैं। दिल्ली और एनसीआर में ई-कचरा पुनर्चक्रण में बच्चों की भागीदारी पर अलग-अलग रिपोर्टों के आधार पर, सबूतों के साथ तथ्यों की जांच करने के लिए यह कवायद शुरू की गई थी।

एनसीपीसीआर की भूमिका

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर), भारत सरकार के तहत वैधानिक निकाय, बाल अधिकारों की सुरक्षा की सुरक्षा के लिए शिकायतों के निवारण, पूछताछ करने, दिशानिर्देशों/प्रोटोकॉल की सिफारिश करने, अध्ययन करने, जागरूकता पैदा करने, संवेदीकरण आदि जैसी कई पहल कर रहा है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के तहत प्रदान किए गए बाल अधिकारों के संदर्भ में विशिष्ट मामलों की जांच करना। आयोग द्वारा विशिष्ट मामलों की जांच करने के लिए अपनाई जाने वाली मुख्य गतिविधियों में से एक है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग (सीपीसीआर) अधिनियम, 2005 की धारा 13 {1} के तहत प्रदान किए गए कार्यों और शक्तियों के अनुसार तथ्यों की खोज की जाती है। आयोग प्रावधान के उल्लंघन के मामलों को खत्म करने के लिए अंतिम बच्चे तक पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध है। उक्त अधिनियम के तहत यह शिकायत निवारण, नीतिगत हस्तक्षेप, नियामक हस्तक्षेप, कार्यक्रम गतिविधि, विशेष जांच, सिफारिश और अध्ययन करने और इसे कम करने सहित विभिन्न हस्तक्षेपों के माध्यम से एक सुरक्षित सामाजिक सुरक्षा कवच की भेद्यता की इस स्थिति का सामना कर रहा है। आयोग ने देखा कि बच्चों का एक वर्ग ई-कचरा जैसे हानिकारक क्षेत्र में बाल श्रम के रूप में लगा हुआ है ताकि वे अपने परिवार की कमाई को पूरा कर सकें। ये बच्चे विभिन्न विकासात्मक मुद्दों के साथ-साथ अपने अधिकारों के उल्लंघन का सामना कर रहे होंगे। ई-कचरा क्षेत्र में लगे हुए क्रोधित करने वाले दृश्यों को दिखाते हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहित विभिन्न मीडिया रिपोर्टों को प्रकाशित किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में बच्चों को राष्ट्रीय नागरिक माना गया है और उनके विशेष दर्जे को देखते हुए राज्यों ने विशेष कानून भी बनाए हैं।

औचित्य

बच्चों के लिए अधिनियमित ऐसे तीन अधिनियमों की निगरानी के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को अधिदेश दिया गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009; यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2009; और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015- उक्त तीन अधिनियमों के तहत किए गए प्रावधान उन बच्चों पर भी लागू होते हैं, जो बाल श्रम में लगे हुए हैं, विशेष रूप से उनकी सुरक्षा, पुनर्वास, यदि यौन शोषण किया जाता है, तो उनके पुनर्वसन के लिए प्रावधान है। स्कूल में व्यस्तता और उन्हें आश्रय प्रदान

करना बहुत जरूरी है। इसलिए, आयोग ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में बच्चों की स्थिति पर एक तथ्य खोजने की कवायद शुरू की। तथ्य खोजने के इस अभ्यास का उद्देश्य ई-कचरा निपटान क्षेत्र में लगे बच्चों की स्थिति को उजागर करना है। तदनुसार, दिल्ली के सीलमपुर और मुस्तफाबाद और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में क्रमशः 09.11.2020 और 14.11.2020 को ऐसे क्षेत्रों में एक सर्वेक्षण किया गया था।

क्रियाविधि

सीलमपुर (पुराना), दिल्ली और मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश में एक वीडियो आधारित सर्वेक्षण किया गया था, जहां संकरी और भीड़भाड़ वाली जगह में असंगठित ई-कचरा पुनर्चक्रण के बड़े केंद्र हैं। इस गतिविधि में लगे बच्चों के साथ एक वीडियो साक्षात्कार आयोजित किया गया।

सबसे पहले, स्थानों को यादृच्छिक ढंग से री-साइकिल करने के लिए कुछ सामग्री पूछकर चिह्नित किया गया था। इस काम में शामिल लोग अक्सर अपनी भूमिका साझा करने के लिए अनिच्छुक होते हैं या बच्चों को आने की अनुमति नहीं देते हैं, इसलिए साक्षात्कार के दौरान सावधानी बरती गई। पहले बच्चे उत्तर देने में झिझकते थे लेकिन बाद में अच्छे संबंध बनाने से सर्वेयर को उनसे खुलकर बात करने में मदद मिली। इन बच्चों के माता-पिता आमतौर पर अपने बच्चों को इन गतिविधियों के लिए भेजना स्वीकार करते हैं और इसके कानूनी, सामाजिक और स्वास्थ्य परिणामों से पूरी तरह वाकिफ नहीं होते हैं।

जाँच - परिणाम

सबसे पहले, मुस्तफाबाद, दिल्ली में एक कबाड़ बाजार का दौरा किया। दिल्ली के मुस्तफाबाद का यह कबाड़ बाजार पुराने लैपटॉप जैसे HP, Dell, Samsung, Lenovo; पुराने मोबाइल फोन जैसे ओप्पो, वीवो, सैमसंग, रेडमी और अन्य ब्रांडों के लिए है। यह देखा गया कि मुस्तफाबाद की गली नंबर 6 में स्थित मस्जिद के पास कई कबाड़ की दुकानें हैं जहां ई-कचरा एकत्र किया जाता था और नष्ट किया जाता था। दरअसल इस पूरे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर ई-कचरे का निस्तारण किया जा रहा है। जब सर्वेक्षक मौके पर पहुंचे तो 15 साल का बच्चा सुलेमान1 टीवी के पिकचर ट्यूब से तार काट रहा था। गर्म करके तारों को अलग किया जा रहा था, जो एक अत्यधिक धुँआधार प्रक्रिया है। बातचीत के दौरान पता चला कि बच्चा रोजाना 12 घंटे तक टीवी की ट्यूब से इन तारों को अलग करता है। वह ई-कचरे (ट्यूब, लैपटॉप और मोबाइल) से तांबा, लोहा, प्लेटिनम, सोना और अन्य सामग्री को अलग करता है। एक और

बच्चा मोहम्मद शाहिद, जिसकी उम्र 8-9 साल है, को भी पास की एक गली में एक दुकान में बैटरी से लीथियम अलग करते हुए देखा गया था। इन बच्चों को मदरबोर्ड को एसिड से धोना पड़ता है ताकि प्लेटिनम और अन्य धातुओं को अलग किया जा सके। साथ ही इसे इसलिए जलाया जाता है ताकि छिपी हुई धातु को एकत्र किया जा सके।

बच्चे इन लैपटॉप की बैटरी से लीथियम को अलग करने में लगे नजर आए। इसके बाद लीथियम को पावर बैंक बनाने वाली कंपनियों को बेचा जाता है। कम श्रम लागत का लाभ पाने के लिए सुलेमान जैसे बच्चों को लिथियम निकालने के काम में लगाया जा रहा है, जिन्हें महज 100 रुपये मिलते हैं। 200 (तीन यूएस डॉलर से कम) प्रतिदिन। हैरानी की बात यह है कि स्थानीय लोगों और बच्चों ने बताया कि ऐसे कई बच्चे पूरे इलाके में ई-कचरा हटाने के काम में लगे हुए हैं।

दूसरा पड़ाव मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश था जो लगभग पूरे उत्तर भारत के ई-कचरे का गवाह है। यह पूरा धंधा मुरादाबाद के असलतपुरा मोहल्ले में संचालित होता है। दिल्ली-एनसीआर के ज्यादातर पुराने मोबाइल फोन और लैपटॉप यहां पहुंचाए जाते हैं और इन मोबाइलों के मदर बोर्ड, बैटरी और स्क्रीन को तोड़ दिया जाता है। लैपटॉप की बैटरियां, मदरबोर्ड और अन्य पुर्जे भी यहां नष्ट किए जाते हैं। यहां 12 से 14 साल के बच्चे मोबाइल डिस्मैंटल करने के काम में लगे थे और यहां काम कर आठ से दस हजार प्रतिमाह कमा लेते थे। ये बच्चे मोबाइल फोन भी तोड़ देते हैं। इन बच्चों को अपने स्वास्थ्य की कीमत पर इस तरह के काम में धकेला जाता है। इस क्षेत्र के लोग बाहरी लोगों को क्षेत्र में आने की अनुमति नहीं देते हैं क्योंकि वे बच्चों से संबंधित कानूनों से अवगत हैं और बच्चों को ई-कचरा निपटान जैसे खतरनाक व्यवसायों में लगाना अपराध है।

कम्पनियों को निराकरण का लक्ष्य दिया जाता है परन्तु कम्पनी द्वारा इन लक्ष्यों को पूरा नहीं किया जाता है। कंपनियों को अपने ई-वेस्ट कलेक्शन सेंटर स्थापित करने के लिए कहा गया है, जहां से ई-कचरा पंजीकृत रिसाइकलर्स के पास जाना है, हालांकि, इस प्रावधान को लागू नहीं किया गया है।

श्री चंद्रभूषण, (पर्यावरणविद्) के अनुसार - सभी टीवी निर्माता कंपनियों को अपने इस्तेमाल किए गए उत्पादों को नष्ट कर देना चाहिए जो कि अन्य देशों में एक वास्तविकता है लेकिन भारत में टेलीविजन कंपनियां इस मानदंड का पालन नहीं करती हैं। देश के कानून के अनुसार, ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 है; घरेलू या अंतरराष्ट्रीय सभी ब्रांड अनुपालन के लिए कवर किए गए हैं। हालांकि, नियमों को सख्ती से लागू नहीं किया जाता है। लाखों इलेक्ट्रॉनिक गजट बनाने वाली कंपनियों को अपना ई-कचरा रजिस्टर्ड रिसाइकिलर्स को देना

होता है लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसके अलावा, जो कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का उत्पादन कर रही हैं या ई-कचरा पैदा कर रही हैं, उन्हें अपनी बिक्री का 16% खुद ही नष्ट करना होगा। ये कंपनियां प्रावधानों का पालन नहीं कर रही हैं और इसकी जिम्मेदारी कबाड़ के डीलरों पर डाल रही हैं। परिणामस्वरूप कबाड़ के व्यापारी गरीब परिवारों के बच्चों को इस प्रक्रिया में शामिल कर लेते हैं जिससे उनका शोषण होता है। यह विडंबना है कि भारत में 90 से 95 प्रतिशत ई-कचरे का प्रबंधन असंगठित क्षेत्र में होता है जबकि अन्य देशों में ये कंपनियां 100 प्रतिशत करती हैं।

श्री प्रियंक कानूनगो, अध्यक्ष, एनसीपीसीआर: ऐसी प्रक्रियाएं जिनमें बाल श्रम शामिल है; उन उत्पादों को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। जहां तक ई-कचरा और बाल श्रम का संबंध है, जिम्मेदार कंपनियां संगठित क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रही हैं। किसी भी प्रक्रिया के लिए व्यवसाय असंगठित क्षेत्र पर निर्भर होता है, इसमें बाल श्रम और बच्चों के शोषण की सम्भावना अधिक होती है।

2019 में प्रकाशित संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार, ई-कचरे का केवल 20 प्रतिशत ही ठीक से री-साइकिल किया जाता है, लेकिन भारत में यह लगभग 5 से 7 प्रतिशत तक सीमित है। इन कंपनियों के लिए अन्य देशों में निपटान उनकी जिम्मेदारी है, हालांकि, जब वे भारत में काम करते हैं तो निराकरण की जिम्मेदारी असंगठित क्षेत्र के पास छोड़ दी जाती है। इस प्रकार जब वे भारत में काम करते हैं तो दोहरा मापदंड अपनाते हैं। इस तरह वे बच्चों की सेहत और जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं।

बच्चों को ई-कचरे से संबंधित कार्य से दूर रखने के लिए आवश्यक है- कंपनियों को अपने स्वयं के विखंडन संयंत्रों की स्थापना करनी चाहिए, जैसा कि वे अन्य देशों में करते हैं।

डॉ. बीना बस्नेत एवं डॉ. अजय कुमार के अनुसार इस क्षेत्र में कार्यरत चिकित्सक मोबाइल फोन, लैपटॉप, प्रिंटर, पेन ड्राइव एवं टेलीविजन आदि में लेड, कैडमियम, बैरोलियम, मरकरी, ब्रोमीन, पॉली विनाइल एवं क्लोराइड आदि पाए जाते हैं। जो पल्मोनरी, लिवर, न्यूरोलॉजिकल, स्किन, गैस्ट्रो डिसऑर्डर, कैंसर और ब्रेन डेवलपमेंट डिसऑर्डर जैसी बीमारियां पैदा कर सकता है। उनके मुताबिक इन इलाकों के बच्चे अक्सर सांस और चर्म रोग से पीड़ित रहते हैं। पारा के कारण इन बच्चों का दिमागी विकास भी प्रभावित होता है।

इन मामलों का स्वतः संज्ञान लेते हुए एनसीपीसीआर ने संबंधित सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, डिप्टी लेबर कमिश्नर, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और चाइल्डलाइन को बच्चों को तुरंत छुड़ाने और किशोर न्याय अधिनियम 2015 और बाल और किशोर श्रम के अनुसार उचित कार्रवाई

करने के लिए लिखा है।

सिफारिशें

1. जे. जे. अधिनियम, 2015 और सीएलपीआरए अधिनियम, 1986 और उसके बाद के संशोधनों के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत श्रम जैसी खतरनाक गतिविधियों में बच्चों को शामिल करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए।
2. ईडब्ल्यूएम नियम, 2015 के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए एक तृतीय पक्ष निगरानी तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए ताकि ई-कचरा उत्पन्न होने से लेकर इसके निपटान तक की पूरी प्रक्रिया की एंड-टू-एंड निगरानी की जा सके। यह कानून प्रवर्तन अधिकारियों को निर्माताओं की जवाबदेही तय करने में भी सक्षम करेगा।
3. ईडब्ल्यूएम नियम, 2015 के किसी भी उल्लंघन के लिए, नियामक प्राधिकरण द्वारा उक्त नियमों के तहत प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए।
4. ईडब्ल्यूएम नियम, 2015 के नियम 12(2) के अनुसार, राज्य में श्रम विभाग या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत कोई अन्य सरकारी एजेंसी विखंडन और पुनर्चक्रण में शामिल श्रमिकों की मान्यता और पंजीकरण सुनिश्चित करेगी। चूंकि, श्रम विभाग सीएलपीआरए अधिनियम, 1986 के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है, इसलिए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन श्रमिकों में सीएलपीआरए अधिनियम, 1986 और बाद के संशोधनों के अनुसार बच्चे शामिल नहीं हैं।
5. सीएलपीआर संशोधन अधिनियम, 2016 के माध्यम से डाली गई धारा 3ए में कहा गया है कि किसी भी किशोर को अनुसूची में निर्धारित किसी भी खतरनाक व्यवसाय या प्रक्रिया में नियोजित या काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए, "खतरनाक प्रक्रिया" का अर्थ कारखाना अधिनियम, 1948 के खंड (cb) में दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि खतरनाक प्रक्रिया का अर्थ पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किसी उद्योग के संबंध में कोई प्रक्रिया या गतिविधि है, जहां, जब तक विशेष देखभाल नहीं की जाती है, तब तक इसमें इस्तेमाल होने वाली कचरी सामग्री या मध्यवर्ती या तैयार उत्पाद, उप-उत्पाद, अपशिष्ट या बहिःस्राव से इसमें लगे या इससे जुड़े व्यक्तियों के स्वास्थ्य को भौतिक हानि होगी।
6. खतरनाक प्रक्रिया की उपरोक्त परिभाषा में ई-कचरा से संबंधित गतिविधियां भी शामिल हैं, जिसे विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के रूप में परिभाषित किया गया है, उपभोक्ता या थोक उपभोक्ता द्वारा कचरे के रूप में पूरी तरह से या आंशिक रूप से त्याग दिया जाता है और साथ ही ईडब्ल्यूएम के तहत विनिर्माण, नवीनीकरण और मरम्मत प्रक्रियाओं से खारिज

कर दिया जाता है।

7. इस क्षेत्र में बाल श्रम उन्मूलन के लिए विस्तृत योजना तैयार करने के लिए पर्यावरण मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय सहित सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों की एक संयुक्त बैठक बुलाई जानी चाहिए।
8. ई-कचरा पुनर्चक्रण के लिए स्थानों के लिए प्राधिकरण (ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2015 के अनुपालन में) को अनिवार्य करना: ई-अपशिष्ट के पुनर्चक्रण के लिए स्थानों को लाइसेंस देने से घर आधारित पुनर्चक्रण हतोत्साहित होगा। जब औपचारिक क्षेत्र बाल श्रम को प्रतिबंधित करता है तो विशेष रूप से श्रम का काम घर पर पहुंच जाता है और बच्चे अपने घर पर काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं।
9. खतरनाक घटक का रीसाइक्लिंग कार्य हतोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि विषाक्त घटकों का कोई सुरक्षित निपटान नहीं है और परिवार में कमाने के कार्य को पूरा करने के लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य को शामिल किया जाता है। इन स्थानों की निगरानी राज्य एवं केन्द्र प्रशासन के साथ पारदर्शी समन्वय के साथ समय-समय पर की जानी चाहिए। लाइसेंस की अनुपस्थिति को अवैध गतिविधि के रूप में लिया जाना चाहिए और तदनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।
10. बच्चों, माता-पिता, स्क्रेप डीलरों और स्थानीय प्रशासन का संवेदीकरण: इन जहरीले कचरे में कई खतरनाक घटक शामिल होते हैं जो स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। पुलिस सहित माता-पिता, स्क्रेप डीलर और प्रशासन को इन खतरनाक जोखिमों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। उन्हें इन कार्यों में बच्चों को शामिल करने के निहितार्थ और कानूनों के तहत दंड क्या हैं, के बारे में भी सूचित किया जाना चाहिए। हालांकि, इस वीडियो में चिन्हित बिंदु धार्मिक स्थलों के पास हैं, इसलिए धार्मिक स्थलों के मंचों का उपयोग बच्चों को खतरनाक व्यवसाय में शामिल न करने की अपील के लिए किया जा सकता है। अलग-अलग ऑनलाइन और ऑफ-लाइन प्लेटफार्मों पर साझा करने के लिए अलग-अलग वीडियो बनाए और प्रायोजित किए जा सकते हैं ताकि सार्वजनिक रूप से यह सीखा जा सके कि बच्चे अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के संवेदनहीन और गैर-जिम्मेदाराना निपटान से कैसे प्रभावित हो रहे हैं।
11. स्थानीय लोगों की भागीदारी: ई-अपशिष्ट पुनर्चक्रण में बच्चों को शामिल करने वाले स्थानों को चिह्नित करने की आवश्यकता है। इन स्थानों की पहचान करने के लिए स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्हें अपने जीवन को बिना किसी जोखिम के इन स्थानों की रिपोर्ट करने के लिए अलग-अलग आसान एक्सेस प्लेटफॉर्म दिए जाने चाहिए। सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। इस गतिविधि को स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रोत्साहित किया जा सकता है।

+++++